न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या–
48 / 2021

प्रार्थी–

1. रामप्रसाद पुत्र किशोरराम
2. लिछमा पुत्री किशोरराम

जातियान–जाट निवासीगण– मातासुख, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. किशोरराम पुत्र धूलाराम
2. सरोज पुत्री किशोरराम

जातियान–जाट निवासीगण– मातासुख, तहसील–जायल जिला–नागौर।

3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

<u>प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1, 2 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.</u>

1. अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ,प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अप्रार्थी सं. 1 से 2 की ओर से।
3. अप्रार्थीगण संख्या 3 परफोर्मा पक्षकार।

दिनांक : 04/7/2022

– : : आदेश : :–

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण दोनों सगे भाई बहन है जो अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र तथा पुत्री है। इनके एक बहन अप्रार्थी संख्या 2 और है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमि ग्राम मौजा मातसुख तहसील जायल के खसरा नं. 524 रकबा 2.2824 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की है। लेकिन कर्ताखानदान होने से राजकीय रेकर्ड में अकेले अप्रार्थी संख्या 1 का नाम आ गया है। इस भूमि में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा है। लेकिन प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं आया है इसलिये यह दावा वास्ते

04/7/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

घोषणा खातेदारी के लिए पेश करना आवश्यक हो गया है। यह भूमि पक्षकारान् की शामलाती है जिसका विभाजन किया हुआ नहीं है लेकिन कास्त सुविधा से खातेदार अलग–अलग कर लेते हैं। आजकल अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण से नाराज चल रहे है तथा वे अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में है तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से से वंचित करना चाहते हैं। तथा भूमि उनके नाम रेकर्ड में दर्ज होने से वे सम्पूर्ण भूमि को बेचान करने पर उतारू है। तथा आजकल गांव में ऐसी चर्चाऐं भी चल रही है कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम दर्ज पुश्तैनी भूमि का बेचान कर देगा तथा ग्राहक भी किसी बाहुबली को बनायेगा जो प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करके सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर सके। आजकल कुछ अजनबी लोग गाड़िया लेकर खेत के आस पास चक्कर लगाते भी देखे गये है। अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है तथा यदि वे ऐसा करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को वो नुकसान होगा जो किसी भी मुआवजा पर पूरा नहीं होगा तथ्ज्ञा उसकी कीमत रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी तथा भारी क्षति अपूर्णीय होगी। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में इसी में हे कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मातासुख तहसील जायल के खेत खसरा नंबर 524 रकबा 3.2824 हैक्टैयर की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति दौरान दावा बनाये रखी जावे। सम्पूर्ण भूमि पक्षकरान् की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी होने से प्रथम दृष्टतया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय की जारी किया जाना न्यायसंगत है कि वे वादग्रस्त भूमि ग्राम मातासुख तहसील जायल के खेत खसरा नंबर 524 रकबा 3.2824 हैक्टैयर का बेचान या हस्तानान्तरण दौराने दावा किसी भी तरह से न करे तथा रेकर्ड की यथास्थिति दौराने दावा बनाये रखे तथा प्रार्थी संख्या 3 भी राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने वकालातनामा तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 के सम्मन स्वयं से तामील सुदा अप्राप्त है, जो कि केवल परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये है।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने प्रार्थना पत्र समस्त पैराज गलत, निराधार, सारहीन जिक्र करते हुये जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण सगे भाई बहन होने की बात सही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पिता एवं पुत्री होने की बात भी सही लिखी है प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम मातासुख के खेत खसरा नंबर 524 रकबा 2.2824 हैक्टैयर आई हुई होने

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

की बात गलत है बल्कि उक्त भूमि अप्रार्थी सख्या 1 किशोरराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी की है जो रेकर्ड अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक बराबर हिस्सा होने की बात गलत लिखी है । प्रार्थी संख्या 1 रामप्रसाद की शादी 2 वर्ष पूर्व होने पर प्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 2 को पूर्व में पुश्तैनी भूमि रकबा 8.03 बीघा व रकबा 0.10 बीघा मौजा मातासुख की भूमि लिग्नाईट में होने से राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कर लिग्नाईट कम्पनी द्वारा अवार्ड की राशि दे दी गई थी जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 को नगद राशि देकर एवं अप्रार्थी संख्या 1 रामप्रसाद को पक्का पुश्तैनी मकान बंट में देकर अलग कर दिया था। जिससे उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का कोई बंट हिस्सा व अधिकार नहीं होने से प्रार्थीगण उक्त भूमि में कोई बंट लेने के अधिकारी नहीं है। उक्त भूमि अपार्थी संख्या 1 अकेले के बंट में कब्जा काश्त एवं खातेदारी की होने से प्रार्थीगण द्वारा पक्षकरान् की शामलाती भूमि होने व विभाजन नहीं किया हुवा होने की बात गलत लिखी है। शेष फिकरा गलत होने से अस्वीकार है।

यह है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 सरासर गलत एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है । प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 का नाजायज नाराज चलने तथा अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में होने की बात भी गलत है। तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से की जमीन से वंचित रखने की बात भी सरासर गलत लिखी है। तथा वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा रेकर्ड में नाम दर्ज होने से सम्पूर्ण भूमि को बेचान करने की बात गलत लिखी है तथा आजकल गांव में ऐसी चर्चाऐं होने की बात की अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम दर्ज पुश्तैनी भूमि का बेचान करने तथा ग्राहक भी किसी बाहुबली को बनाने की बात जो कि प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करके सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर सकने की बात् सरासर गलत व मनगढत होने से अस्वीकार है। आजकल कुछ अजनबी लोग गाड़िया लेकर खेत के आस पास चक्कर लगाते भी देखे जाने की बात मात्र कयास है जो प्रार्थीगण द्वारा गलत लगाये है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से राजकुशी बंटवाड़ा कर उनको बंट दे दिया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 रामकिशोर ने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 सरोज की शादी धुमधाम से करने से अप्रार्थी संख्या 1 कर्ज तले दब गया है एवं प्रार्थी रामप्रसाद शादी होते ही अपना बंट लेकर व पुश्तैनी मकान लेकर अलग हो जाने एवं शादी के लिये ली गई कर्ज की राशि नहीं चुका पाने के कारण एवं प्रार्थी संख्या 1 लिछमा व अप्रार्थी संख्या 2 सरोज की शादी हो जाने के कारण ससुराल जाने से अप्रार्थी संख्या 1 के कमाने वाला कोई नहीं होने से तथा समाज में अपने बच्चों की शादी के लिये ली गई कर्ज की राशि

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

को चुकाने का दबाब होने से अप्रार्थी संख्या 1 रामकिशोर को अपने हक बंट व खातेदारी की भूमि को बेचने का पूरा विधिक अधिकार है। जो अप्रार्थी रामकिशोर अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिये अपने हक की भूमि को बेचान करने के लिये स्वतंत्र है। अगर प्रार्थीगण गलत तथ्यों के आधार पर स्थगन प्राप्त करने में कामयाब हो गया तो अप्रार्थी रामकिशोर अपने हक बंट एवं अधिकार की भूमि को सुधार करवाने तथा ऋण वगैरह लेने से वंचित होना पड़ेगा। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं होगा एवं वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी रामकिशोर के अकेले के बंट हक अधिकार व खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टतया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार का नुकसान व अपूर्णीय क्षति होने की संभावना नहीं है एवं प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है जिससे प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि मौजा मातासुख के खेत खसरा नंबर 524 रकबा 2.2824 हैक्टेयर में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज होने के लायक है।

यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 रामकिशोर ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 सरोज को करीब 2 वर्ष पूर्व प्रार्थी रामप्रसाद की शादी होने के बाद भूमि अवाप्ति में मिले मुआवजे की राशि उक्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 सरोज को दे दी गई एवं प्रार्थी रामप्रसाद को मुआवजे की राशि देकर एवं पुश्तैनी मकान बंट में देकर राजीकुशी अलग कर दिया गया था लेकिन अब प्रार्थीगण के मन में फितुर पैदा होने एवं लोगों के सिखावें में आकर ना हक ही झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है।

4. चूंकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा शेष पक्षकारान अप्रार्थी संख्या 3 सम्मन तामिल होकर अप्राप्त है , जो कि परफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। वकुलाय की सहमति पर प्रकरण हाजा में अन्तिम बहस हेतु तारीख नियत की गई।

5. बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र तथ्यों का पुर्नदोहरान करते हुये दलीलें दी कि प्रार्थीगण दोनों सगे भाई बहन है जो अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र तथा पुत्री है। इनके एक बहन अप्रार्थी संख्या 2 और है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमि ग्राम मौजा मातसुख तहसील जायल के खसरा नं. 524 रकबा 2.2824 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की है। लेकिन कर्ताखानदान होने से राजकीय रेकर्ड में अकेले अप्रार्थी संख्या 1 का नाम आ गया

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

है। इस भूमि में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा है। लेकिन प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं आया है इसलिये यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी के लिए पेश करना आवश्यक हो गया है। यह भूमि पक्षकारान् की शामलाती है जिसका विभाजन किया हुआ नहीं है लेकिन कास्त सुविधा से खातेदार अलग–अलग कर लेते हैं। आजकल अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण से नाराज चल रहे है तथा वे अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में है तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से से वंचित करना चाहते हैं। तथा भूमि उनके नाम रेकर्ड में दर्ज होने से वे सम्पूर्ण भूमि को बेचान करने पर उतारू है। तथा आजकल गांव में ऐसी चर्चाऐं भी चल रही है कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम दर्ज पुश्तैनी भूमि का बेचान कर देगा तथा ग्राहक भी किसी बाहुबली को बनायेगा जो प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करके सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर सके। आजकल कुछ अजनबी लोग गाड़िया लेकर खेत के आस पास चक्कर लगाते भी देखे गये है। अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है तथा यदि वे ऐसा करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को वो नुकसान होगा जो किसी भी मुआवजा पर पूरा नहीं होगा तथ्झा उसकी कीमत रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी तथा भारी क्षति अपूर्णीय होगी। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में इसी में हे कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मातासुख तहसील जायल के खेत खसरा नंबर 524 रकबा 3.2824 हैक्टैयर की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति दौरान दावा बनाये रखी जावे। सम्पूर्ण भूमि पक्षकरान् की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी होने से प्रथम दृष्टतया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय की जारी किया जाना न्यायसंगत है कि वे वादग्रस्त भूमि ग्राम मातासुख तहसील जायल के खेत खसरा नंबर 524 रकबा 3.2824 हैक्टैयर का बेचान या हस्तानान्तरण दौराने दावा किसी भी तरह से न करे तथा रेकर्ड की यथास्थिति दौराने दावा बनाये रखे तथा प्रार्थी संख्या 3 भी राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

6. दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के वकील द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र समस्त पैराज गलत, निराधार, सारहीन जिक्र करते हुये जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण सगे भाई बहन होने की बात सही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पिता एवं पुत्री होने की बात भी सही लिखी है प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम मातासुख के खेत खसरा नंबर 524 रकबा 2.2824 हैक्टैयर आई हुई होने की बात गलत है बल्कि उक्त भूमि अप्रार्थी सख्या 1 किशोरराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी की है जो रेकर्ड अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के

सहायक कलक्टर (एफ.टी.) जायल

नाम दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक बराबर हिस्सा होने की बात गलत लिखी है । प्रार्थी संख्या 1 रामप्रसाद की शादी 2 वर्ष पूर्व होने पर प्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 2 को पूर्व में पुश्तैनी भूमि रकबा 8.03 बीघा व रकबा 0.10 बीघा मौजा मातासुख की भूमि लिग्नाईट में होने से राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कर लिग्नाईट कम्पनी द्वारा अवार्ड की राशि दे दी गई थी जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 को नगद राशि देकर एवं अप्रार्थी संख्या 1 रामप्रसाद को पक्का पुश्तैनी मकान बंट में देकर अलग कर दिया था। जिससे उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का कोई बंट हिस्सा व अधिकार नहीं होने से प्रार्थीगण उक्त भूमि में कोई बंट लेने के अधिकारी नहीं है। उक्त भूमि अपार्थी संख्या 1 अकेले के बंट में कब्जा काश्त एवं खातेदारी की होने से प्रार्थीगण द्वारा पक्षकरान् की शामलाती भूमि होने व विभाजन नहीं किया हुवा होने की बात गलत लिखी है। शेष फिकरा गलत होने से अस्वीकार है।

यह है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 सरासर गलत एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है । प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 का नाजायज नाराज चलने तथा अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में होने की बात भी गलत है। तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से की जमीन से वंचित रखने की बात भी सरासर गलत लिखी है। तथा वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा रेकर्ड में नाम दर्ज होने से सम्पूर्ण भूमि को बेचान करने की बात गलत लिखी है तथा आजकल गांव में ऐसी चर्चाऐं होने की बात की अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम दर्ज पुश्तैनी भूमि का बेचान करने तथा ग्राहक भी किसी बाहुबली को बनाने की बात जो कि प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करके सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर सकने की बात् सरासर गलत व मनगढत होने से अस्वीकार है। आजकल कुछ अजनबी लोग गाड़िया लेकर खेत के आस पास चक्कर लगाते भी देखे जाने की बात मात्र कयास है जो प्रार्थीगण द्वारा गलत लगाये है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से राजकुशी बंटवाड़ा कर उनको बंट दे दिया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 रामकिशोर ने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 सरोज की शादी धुमधाम से करने से अप्रार्थी संख्या 1 कर्ज तले दब गया है एवं प्रार्थी रामप्रसाद शादी होते ही अपना बंट लेकर व पुश्तैनी मकान लेकर अलग हो जाने एवं शादी के लिये ली गई कर्ज की राशि नहीं चुका पाने के कारण एवं प्रार्थी संख्या 1 लिछमा व अप्रार्थी संख्या 2 सरोज की शादी हो जाने के कारण ससुराल जाने से अप्रार्थी संख्या 1 के कमाने वाला कोई नहीं होने से तथा समाज में अपने बच्चों की शादी के लिये ली गई कर्ज की राशि को चुकाने का दबाव होने से अप्रार्थी संख्या 1 रामकिशोर को अपने हक बंट व खातेदारी की भूमि को बेचने का पूरा विधिक अधिकार है। जो अप्रार्थी रामकिशोर

(हस्ताक्षर) ...क उपखण्ड ...(ओ.) जायल

अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिये अपने हक की भूमि को बेचान करने के लिये स्वतंत्र है। अगर प्रार्थीगण गलत तथ्यों के आधार पर स्थगन प्राप्त करने में कामयाब हो गया तो अप्रार्थी रामकिशोर अपने हक बंट एवं अधिकार की भूमि को सुधार करवाने तथा ऋण वगैरह लेने से वंचित होना पड़ेगा। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं होगा एवं वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी रामकिशोर के अकेले के बंट हक अधिकार व खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टतया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार का नुकसान व अपूर्णीय क्षति होने की संभावना नहीं है एवं प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है जिससे प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि मौजा मातासुख के खेत खसरा नंबर 524 रकबा 2.2824 हैक्टेयर में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज होने के लायक है।

यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 रामकिशोर ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 सरोज को करीब 2 वर्ष पूर्व प्रार्थी रामप्रसाद की शादी होने के बाद भूमि अवाप्ति में मिले मुआवजे की राशि उक्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 सरोज को दे दी गई एवं प्रार्थी रामप्रसाद को मुआवजे की राशि देकर एवं पुश्तैनी मकान बंट में देकर राजीकुशी अलग कर दिया गया था लेकिन अब प्रार्थीगण के मन में फितुर पैदा होने एवं लोगों के सिखावें में आकर ना हक ही झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है।

7. पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड, वकुलाय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण की दलीलों एवं बहस पर मनन किया गया पत्रावली अवलोकन एवं वकुलाय बहस से स्पष्ट है कि वादग्रस्त खेताय पक्षकारान् के बडेर के होने से मामला प्रथम दृष्टतया प्रार्थी के पक्ष में है वर्तमान रिकार्ड अनुसार खातेदार प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज है जिसे वह खातेदारी की आड़ में बेचान करने का आमदा है यदि वह उक्त कृत्य कारित करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थी के हक अधिकारों का हनन होगा जिसे मामला अपूर्णिय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी के हक अधिकार साक्ष्य सबूतों के आधार पर जरिये वाद में निरस्तारित होने है। जो कि वाद की सतत् प्रकिया के तहत निस्तारित होना है जिसमें वक्त लगना लाजमी है। दौराने वाद अप्रार्थीगण द्वारा खातेदारी की आड़ में भूमि का हस्तान्तरण की आंशका से इनकान नहीं किया जा सकता चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू मामला प्रथम दृष्टतया सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में निहित है अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय का यह मत है कि वादग्रस्त खेताय खसरा नंबर 524 मौजा मातासुख में प्रार्थीगण के हक हिस्से तक किसी प्रकार का बेचान/हस्तान्तरण , रहन, दान, गिरवी आदि नहीं करने हेतु

वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना उचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता कि मौजा मातासुख तहसील जायल के खसरा नं. 524 रकबा 2.2824 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के हक हिस्से तक किसी प्रकार का बेचान / हस्तान्तरण , रहन, दान, गिरवी आदि वाद के अंतिम निस्तारण तक नहीं करे तथा ना ही किसी अन्य से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

04/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला—नागौर

आदेश आज दिनांक 04/7/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

04/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला—नागौर